

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक:- एफ.8(1)(3)निर्वा./2009/

जयपुर, दिनांक

प्रेषक:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित:- जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), जयपुर।

~~H.O.O.~~
28/8/18

विषय:- राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान के कार्मिकों को
चुनाव कार्य से मुक्त रखने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निदेशक, राज्य राजस्व आसूचना
निदेशालय, जयपुर ने विभाग को अनुरोध किया है कि राज्य राजस्व आसूचना
निदेशालय को दिनांक 02.11.2010 को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सूचना के
अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24(4) के तहत आसूचना और सुरक्षा संगठन
मानते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 से मुक्त किया गया है।

अतः आगामी विधान सभा आम चुनाव 2018 में राज्य राजस्व आसूचना
निदेशालय, जयपुर के अधिकारियों/कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जावे।

भवदीया,

(~~फ.ए.~~)

(डॉ० रेखा गुप्ता)

अति० मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.8(1)(3)निर्वा./2009/ 4769

जयपुर, दिनांक 22/8/18

✓ प्रतिलिपि निदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर को उनके पत्र
क्रमांक 1495 दिनांक 14.08.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर